

स्वर्ण आयोग पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करे सरकार

शिमला/शैल। हिमाचल में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पर अब सुक्खू सरकार की परीक्षा है। सवाल केवल आयोग बनाने का नहीं, बल्कि यह भी है कि इसके गठन के लिए मौजूदा सरकारी अधिसूचना और कानूनी प्रावधानों की स्थिति क्या है तथा आयोग को प्रभावी अधिकार देने के लिए किन औपचारिकताओं की जरूरत होगी। 21 दिन की पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिले आश्वासन ने मांग को फिर चर्चा में ला दिया है, लेकिन गठन की समयसीमा और आगे की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में 'हिमाचल मांगे तीसरा विकल्प स्वर्ण समाज अश्वमेध न्याय यात्रा' 2 अक्टूबर को मनाली के सोलंगनाला से शुरू हुई थी। पार्टी के अनुसार, करीब 600 किलोमीटर की यात्रा 22 अक्टूबर को शिमला सचिवालय पहुंची। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने स्वर्ण आयोग, स्वर्ण एक्ट, ईडब्ल्यूएस सुविधाओं को सरल बनाने तथा शिक्षा और रोजगार से जुड़ी मांगें रखीं। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मांगें सुनकर आगे कदम उठाने का भरोसा दिया। हालांकि इस मुद्दे का पिछला सरकारी रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2021 में तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग बनाने की घोषणा की थी और फरवरी 2022 में इसके गठन, उद्देश्यों, कार्यकाल तथा कामकाज से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई थी। उस समय आगे विधायी प्रक्रिया की बात भी सामने आई थी। अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि उस अधिसूचना

के आधार पर आयोग की क्या स्थिति रही, उसके कामकाज के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या मौजूदा सरकार उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है या नए निर्णय की जरूरत होगी। इन सवालों का उत्तर संबंधित अधिसूचनाओं, सरकारी रिकॉर्ड और विधि विभाग की राय से ही स्पष्ट हो सकेगा।

आयोग का गठन, उसके कामकाज का दायरा और उसे मिलने वाली शक्तियां अलग-अलग प्रश्न हैं। आयोग

किन मामलों पर विचार कर सकेगा, क्या वह केवल सुझाव देगा या उसे कोई अन्य अधिकार भी दिए जाएंगे यह संबंधित सरकारी आदेश और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा। इसलिए बिना आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा के यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आयोग को किस प्रक्रिया से बनाया जा सकता है या उसे अधिकार देने के लिए अलग कानून अनिवार्य होगा।

सुक्खू सरकार को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछली

जयराम सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित आयोग के गठन के लिए आगे कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि सरकार नया निर्णय लेती है, तो आयोग के उद्देश्य, सदस्यता, अधिकार क्षेत्र और कामकाज की रूपरेखा भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। स्वर्ण एक्ट की मांग पर भी सरकार को बताना होगा कि वह इस प्रस्ताव को किस रूप में देखती है और क्या इस पर विधायी विचार की संभावना है।

स्वर्ण समाज की मांग पर राजनीतिक बयान और आश्वासन पहले भी सामने आ चुके हैं। अब असली कसौटी यह होगी कि सरकार पुराने रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट कर कोई ठोस और समयबद्ध निर्णय लेती है या मामला फिर विचार-विमर्श तक सीमित रह जाता है। मुख्यमंत्री का आश्वासन तभी सच साबित होगा, जब आयोग की स्थिति, गठन की प्रक्रिया और उसके अधिकारों को लेकर सरकार स्पष्ट निर्णय सामने रखेगी।

रजनी पाटिल के बयान से हिमाचल कांग्रेस में हलचल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की टिकट राजनीति गरमाने लगी है। पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने मंडी में लगातार दो-तीन चुनाव हार चुके नेताओं के टिकट और संगठनात्मक पदों की समीक्षा का संकेत देकर उन दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है, जो पुरानी राजनीतिक पहचान और संगठन में अपनी पकड़ के आधार पर अगली बार भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाटिल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार में से किसी के पास भी अपनी मर्जी से टिकट या पद देने का एकाधिकार नहीं है। अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा।

पाटिल के बयान का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़

लगातार दो-तीन चुनाव हारने वालों के टिकट और पदों की होगी समीक्षा

गया है, क्योंकि आगामी चुनाव से पहले पार्टी को पुराने चेहरों की दावेदारी, नए कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं और संगठनात्मक प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाना होगा। लगातार चुनाव हार चुके नेताओं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की समीक्षा की बात से साफ है कि टिकट के दावेदारों को अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन और जनता के बीच सक्रियता का हिसाब देना पड़ सकता है। नए चेहरों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर देने का संकेत भी मौजूदा दावेदारों के लिए महत्वपूर्ण है।

मंडी में दिए गए बयान ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में पुराने राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर

रहेगी या उम्मीदवारों के चयन में जनसमर्थन, संगठनात्मक योगदान और चुनावी प्रदर्शन को अधिक महत्व देगी। हालांकि, पार्टी ने अभी तक टिकट वितरण के लिए विस्तृत मानदंड घोषित नहीं किए हैं और न ही किसी नेता की उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला हुआ है।

पाटिल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक बयानबाजी तथा सोशल मीडिया पर पार्टी लाइन के खिलाफ टिप्पणियों से बचने की चेतावनी भी दी। अनुशासनहीनता पर कारवाई का संदेश ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस के सामने सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने और संगठन को चुनावी तैयारी के लिए एकजुट रखने की चुनौती है। उन्होंने

स्पष्ट किया कि केवल नारे लगाने से चुनावी सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए बूथ स्तर पर काम, जनता से सीधा संपर्क और संगठन की सक्रियता जरूरी है।

रजनी पाटिल के बयान ने टिकट चयन में हाईकमान की भूमिका और नेताओं की जवाबदेही को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि कांग्रेस नेतृत्व समीक्षा के लिए क्या कसौटियां तय करता है और क्या पुराने दावेदारों के साथ नए चेहरों को भी वास्तविक अवसर मिलता है। मंडी से निकला संदेश स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में टिकट का दावा केवल राजनीतिक पहचान से नहीं, बल्कि प्रदर्शन और संगठन में योगदान से भी जोड़कर देखा जाएगा।

राज्यपाल ने कुल्लू में रेडियो कुल्लू 90.4 एफएम का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कुल्लू में रेडियो कुल्लू 90.4 एफएम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और कुल्लू दशहरा की विरासत को संरक्षित करने में रेडियो जैसे जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उपस्थित रहीं।

रेडियो कुल्लू 90.4 एफएम का संचालन साफिया फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इस पहल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अध्यक्ष ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) ने प्रायोजित किया है। रेडियो स्टेशन स्वर्गीय विदिशा भारद्वाज की स्मृति को समर्पित है।

रेडियो स्टेशन पर आयोजित विशेष साक्षात्कार में राज्यपाल ने रेडियो से जुड़ी अपनी पुरानी यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उनके पिता डाक विभाग में कार्यरत थे और उन्होंने वह दौर देखा है, जब रेडियो रखने के लिए आधिकारिक लाइसेंस लेना जरूरी होता था। उस समय रेडियो घरों की शान माना जाता था और

गांवों की चौपालों में लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुनते थे।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी के कार्यक्रम 'मन की बात' की सराहना करते हुए कहा कि इसने रेडियो को फिर से लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल युग में भी रेडियो लोगों तक सूचना और विचार पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना हुआ है।

इस दौरान राज्यपाल ने साहस और दृढ़ संकल्प पर आधारित अपनी

स्वर्चित कविता की पंक्तियां भी सुनाई। उन्होंने दैनिक जीवन से जुड़ी एक हल्की-फुल्की रचना प्रस्तुत कर

कार्यक्रम को रोचक बनाया। उन्होंने स्वर्गीय विदिशा भारद्वाज की स्मृति में रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए गौरव भारद्वाज को बधाई भी दी।

कार्यक्रम में साफिया फाउंडेशन की निदेशक डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पत्रकारिता विभाग के प्रो. शशि कांत शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने किया अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। सप्ताह भर

सभी की जिम्मेदारी है।

विजयादशमी के संदेश का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन सत्य,



चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ जी की पारंपरिक रथयात्रा से हुई, जिसमें कुल्लू घाटी के 347 से अधिक देवी-देवताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उपस्थित रहीं।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुल्लू दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल की देव संस्कृति, लोक परंपराओं और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं को सुरक्षित रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना

कर्तव्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से नशाखोरी, हिंसा, भ्रष्टाचार और सामाजिक वैमनस्य जैसी बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव मजबूत करने के लिए 'राष्ट्र प्रथम' की भावना अपनाने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के जंगल, नदियां, पहाड़ और जैव विविधता अनमोल प्राकृतिक संपदा हैं। इसलिए विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है।

राज्यपाल ने मंडी में एनसीसी बटालियन के सर्वधर्म स्थल का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने मंडी स्थित द्वितीय हिमाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन का

नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता और देशसेवा की भावना विकसित करता है। इसका आदर्श वाक्य 'एकता और अनुशासन' युवाओं



दौरा किया और बटालियन परिसर में स्थापित सर्वधर्म स्थल का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए बटालियन को प्रशस्तिपत्र भी प्रदान किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उपस्थित रहीं।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) युवाओं में अनुशासन,

को विविधताओं का सम्मान करने और अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म स्थल कैडेट्स में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और आपसी सद्भाव की भावना मजबूत करेगा।

उन्होंने मंडी बटालियन की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा

कि पिछले वर्ष इसे एनसीसी निदेशालय की सर्वश्रेष्ठ इकाई चुना गया था। उन्होंने बताया कि हिमाचल की 28 बालिका कैडेट्स ने 2026 में 22 दिन के परांगला ट्रेकिंग अभियान में भाग लिया। वहीं, 70 कैडेट्स ने गोविंद सागर झील में लगभग 350 किलोमीटर की नौकायन यात्रा पूरी की।

एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर हरजीत सिंह ने बताया कि शिमला ग्रुप के तहत करीब 35,000 कैडेट्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रशासन और एनसीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे।

**शैल समाचार
संपादक मण्डल**

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक: जे.पी. भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी: राज्यपाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सामाजिक सद्भाव, उद्यमशीलता, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आहवान किया।

राज्यपाल हरियाणा के हिसार में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से आयोजित 43वें वार्षिक अग्रोहा मेले एवं सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराजा अग्रसेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सेवा, समानता और सहयोग पर आधारित उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने 'एक ईट, एक रुपया' की परंपरा को सामुदायिक सहयोग और आत्मनिर्भरता

का उदाहरण बताया।

गुप्ता ने व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में अग्रवाल समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हुए आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीक अपनाने का आहवान किया। साथ ही राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने पर बल दिया।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साझा सांस्कृतिक मूल्यों को सहयोग और सामूहिक कल्याण की भावना का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा, हरियाणा और पंजाब के मंत्री तथा अग्रोहा विकास ट्रस्ट के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

30 अक्टूबर से शुरू होगी मनाली मैराथन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मनाली मैराथन के चौथे संस्करण की टी-शर्ट का अनावरण किया। यह मैराथन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 तक मनाली में आयोजित होगी। 'शीन वॉरियर्स यूथ इनिशिएटिव फॉर ए ड्रग फ्री, फिट एंड क्लीन हिमाचल' थीम पर होने वाले इस

10 और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैराथन पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली और नशामुक्त हिमाचल के संदेश को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए जनभागीदारी



आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने, फिट रहने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।

मनाली मैराथन एवं हिमालयन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 100 किलोमीटर की रोहतांग पास अल्ट्रा चैलेंज, 42 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन तथा

जरूरी है और प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है।

आयोजकों ने मुख्यमंत्री को मैराथन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आयोजन समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में खेलने पर शबनम जस्सल को बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र के शेखपुर गांव की बास्केटबॉल खिलाड़ी शबनम जस्सल को श्रीलंका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शबनम की इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा

कि प्रदेश की बेटियां खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मेहनत और प्रतिभा अन्य युवाओं, विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री ने शबनम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी अपनी उपलब्धियों से हिमाचल और देश का गौरव बढ़ाती रहेगी।

सिविल सेवा, प्रेरणा स्रोत और हिमाचल गौरव पुरस्कार - 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार - 2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्ति 31 दिसंबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इन पुरस्कारों से संबंधित आवेदन प्रपत्र निर्धारित सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदकों को अपनी विशेष उपलब्धियों और सेवाओं का उल्लेख करते हुए हिंदी में दो पृष्ठों का संक्षिप्त विवरण देना होगा। आवेदन के साथ

जरूरी दस्तावेज संलग्न करना भी अनिवार्य है।

प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भी पत्र लिखकर पात्र व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा करने को कहा गया है।

प्राप्त नामांकनों की छंटनी राज्य स्तरीय समिति करेगी। इन पुरस्कारों को हर वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है।

कुल्लू-बंजार में 206.32 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले के कुल्लू और बंजार विधानसभा क्षेत्रों में

किए। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इनमें कुल्लू क्षेत्र की पांच और बंजार क्षेत्र की 21 परियोजनाएं शामिल हैं।



206.32 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास

कुल्लू के पिरड़ी में मुख्यमंत्री ने पिरड़ी-तरलोगी मार्ग पर 28.35 करोड़

भुंतर हवाई अड्डे पर 75 लाख से बना एनसीसी हंगर शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले के भुंतर हवाई अड्डे पर 75 लाख

में करियर बनाने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हंगर से



रुपये की लागत से निर्मित एनसीसी हंगर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से हिमाचल के एयर एनसीसी कैडेट्स को विमानन प्रशिक्षण और भविष्य में विमानन क्षेत्र

कैडेट्स को व्यावहारिक जानकारी, सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण और उड़ान संबंधी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं को भारतीय वायुसेना और सिविल एविएशन

हिमाचल स्काउट्स बटालियन गठित करने का केंद्र से आग्रह: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से लड़ाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल प्रदेश स्काउट्स की तर्ज पर हिमाचल स्काउट्स की अलग बटालियन गठित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे विशेषकर किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को सेना में भर्ती के अवसर मिल सकते हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन क्षेत्रों

के युवा दुर्गम पहाड़ी इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों से परिचित हैं। प्रस्तावित बटालियन से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर रक्षा तैयारियों और पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य अभियानों की क्षमता को मजबूती मिल सकती है।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सैन्य परंपरा गौरवशाली रही है। उनके अनुसार, प्रदेश के एक लाख से अधिक युवा सशस्त्र बलों में सेवाएं दे रहे हैं और लगभग इतनी ही संख्या में

रुपये की लागत से बनने वाले 110 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन किया। इसके अलावा मोहल में 7.25 करोड़ रुपये के 33 केवी सब-स्टेशन, कुल्लू में 8.07 करोड़ रुपये के जीआईसी सब-स्टेशन और शास्त्री नगर में 20.57 करोड़ रुपये के वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया।

बंजार क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता में 2.73 करोड़ रुपये के 33 केवी सब-स्टेशन का शिलान्यास किया गया। नगर पंचायत बंजार के रौ-नाला में 5.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन भी किया गया। सड़क परियोजनाओं में बरनगी-मस्यार, देउरी-सुनाड़ और जीभी-रशाला-सरठी मार्ग शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हंगर से करियर के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उद्घाटन अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने विमान के मॉडल और स्वयं डिजाइन व विकसित किए गए ड्रोन प्रदर्शित किए। मुख्यमंत्री ने कैडेट्स की तकनीकी दक्षता और रचनात्मकता की सराहना की।

सरकारी जानकारी के अनुसार, वर्ष 1972 में हिमाचल प्रदेश में एयर एनसीसी की स्थापना के बाद कुल्लू में पहली बार इस तरह की समर्पित सुविधा स्थापित की गई है। इससे विशेषकर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को विमानन प्रशिक्षण से जुड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय शिमला के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर हरप्रीत सिंह सहित एनसीसी अधिकारी, कैडेट्स और उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

पूर्व सैनिक देश की सुरक्षा में योगदान दे चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा सहित हिमाचल के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार परमवीर चक्र विजेता इसकी सैन्य विरासत और देशभक्ति की परंपरा के प्रतीक हैं। प्रस्तावित बटालियन के गठन पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है।

पहली कक्षा से नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बच्चों में अच्छे संस्कार, अनुशासन, बड़ों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए पहली कक्षा से नैतिक शिक्षा

सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया तेज करने को कहा

सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की प्रगति की समीक्षा



शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक हासिल करना नहीं, बल्कि बच्चों का चरित्र निर्माण और उनका सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में

की। उन्होंने इन स्कूलों में योग्य शिक्षकों, पर्याप्त कर्मचारियों और बेहतर शैक्षणिक माहौल की व्यवस्था करने पर जोर दिया।

उन्होंने सीबीएसई स्कूलों के लिए जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने

और 100 नए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, स्कूलों में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जरूरत का आकलन कर निर्धारित मानकों के अनुसार पद भरने को कहा। बैठक में योजना आधारित भर्ती के तहत 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और लिए गए फैसलों को समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को कामकाज की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में सचिव शिक्षा डॉ. युनुस, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने जारखू में किया रावण दहन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दशहरे के अवसर पर शिमला के जारखू स्थित श्री हनुमान

और अन्याय को खत्म करने का संकल्प लेने का अवसर भी है।

इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं



मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का दहन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई दी। उन्होंने कहा कि रावण दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की बुराइयों

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनारथ और कमलेश ठाकुर, महापौर सुरेंद्र चौहान, पार्षद अतुल गौतम, उपायुक्त अनुपम कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर सहित नगर निगम के पार्षद, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

एमआईएस के तहत 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ जारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत करीब 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एचपीएमसी के अनुसार, इसमें 17.53 करोड़ रुपये नकद और 18.15 करोड़ रुपये एचएमओ/टीएसओ, उर्वरक व मशीनरी जैसे इनपुट के रूप में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 7,059 बागवानों के 12.13 करोड़ रुपये के भुगतान दावे प्रक्रियाधीन हैं।

एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 8 अक्टूबर को हुई बैठक में लंबित दावे जमा करवाने की समय-सीमा तय की गई। एमआईएस-2024 और उससे

पहले के वर्षों में सेब आपूर्ति करने वाले बागवान 30 अक्टूबर, 2026 तक दावे जमा करवा सकते हैं। एमआईएस-2025 के तहत 30 बैग तक सेब देने वाले बागवानों के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर और 31 से 100 बैग तक आपूर्ति करने वालों के लिए 30 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है। एचपीएमसी ने दावों का रिकॉर्ड रखने और वरिष्ठता रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बागवानों से आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित समय में दावे संबंधित शाखा में जमा करवाने की अपील की गई है, ताकि सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

नवरात्रि में 10.25 लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन करवाने पर पुलिस को बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नवरात्रि के दौरान प्रदेश के सात प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में 10,25,726 श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुचारू दर्शन व्यवस्था करने पर हिमाचल पुलिस को बधाई दी है। नवरात्रि 11 से 19 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस, जिला प्रशासन, मंदिर न्यासों और होमगार्ड के बेहतर तालमेल से यह व्यवस्था सफल रही।

नवरात्रि के दौरान मंदिरों में 1,04,520 वाहनों की आवाजाही भी दर्ज की गई। श्री नैना देवी मंदिर में

सबसे अधिक 3,95,226 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री ज्वालामुखी मंदिर में 1,80,000, श्री चिंतपूर्णी में 1,39,000, त्रिलोकपुर स्थित श्री बाला सुंदरी मंदिर में 1,06,600, श्री चामुंडा देवी में 70,500, श्री ब्रजेश्वरी देवी में 69,400 और श्री बगलामुखी मंदिर में 65,000 श्रद्धालु पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के साथ मंदिर प्रबंधन, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों के सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 का उपयोग करने की अपील की। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और पुलिस कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।

एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर निषाद कुमार को बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पैरा एथलीट निषाद कुमार को जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई पैरा खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। निषाद कुमार ने पुरुषों की लंबी कूद (टी-47) स्पर्धा में 7.11 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि निषाद कुमार ने अपनी मेहनत, लगन और मजबूत इच्छाशक्ति से साबित किया है कि दिव्यांगता सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। उनकी उपलब्धि युवाओं और अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री ने निषाद कुमार को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहेंगे।

धर्म राष्ट्रीयता की कसौटी नहीं है, वे पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय ही रहेंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को क्यों न मानते हों।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

गांधी की कसौटी पर धार्मिक राष्ट्रवाद



भारत की राष्ट्रीय पहचान किसी एक धार्मिक समुदाय तक सीमित नहीं की जा सकती गांधीजी की यह स्पष्ट मान्यता आज भी राष्ट्रवाद, धर्म और राजनीति के संबंधों पर बहस के केंद्र में होनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मूल उद्देश्य ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था, जिसमें नागरिकों की बराबरी, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो। महात्मा गांधी के विचारों में स्वराज का अर्थ था ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें देश की जनता स्वयं अपना भविष्य तय करे और किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव न हो। इसी कसौटी पर धार्मिक पहचान को राष्ट्र की परिभाषा बनाने वाली राजनीति और गांधी के राष्ट्रवाद के बीच बुनियादी अंतर दिखाई देता है।

गांधीजी का तर्क था कि हिंदुस्तान उन सभी लोगों का है जो यहां पैदा हुए, पले-बढ़े और इसे अपना देश मानते हैं। उनका विचार था कि स्वतंत्र भारत में शासन किसी धार्मिक समुदाय के प्रभुत्व पर नहीं, बल्कि समूची जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर आधारित होना चाहिए। धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों का आधार धर्म नहीं होना चाहिए।

गांधीजी की इस मान्यता को आज के संवैधानिक संदर्भ में देखें तो भारत का संविधान भी समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को मान्यता देता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यहां गांधीजी की उस टिप्पणी पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें उन्होंने धर्म को निजी विषय बताते हुए राजनीति में धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। गांधी समझते थे कि यदि अंग्रेजों की जगह किसी एक धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व स्थापित हो जाए, तो सत्ता बदलने के बावजूद स्वतंत्रता का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विदेशी शासन से मुक्ति तभी सार्थक होगी, जब देश के सभी नागरिक स्वयं को समान अधिकारों वाला भागीदार महसूस करें। लोकतंत्र में बहुमत को शासन चलाने का अधिकार मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार समाप्त करने का अधिकार नहीं।

गांधीजी की टिप्पणी में सामने आया बुनियादी प्रश्न आज भी प्रासंगिक है कि क्या राष्ट्र की परिभाषा किसी धार्मिक पहचान से तय होगी या सभी नागरिकों की साझा राजनीतिक सदस्यता से? इस प्रश्न का उत्तर केवल भाषणों और नारों से नहीं, बल्कि शासन और सार्वजनिक जीवन के व्यवहार से मिलना चाहिए। क्या सरकारी नीतियों में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होता है? क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था, भाषा और संस्कृति के संरक्षण की समान स्वतंत्रता प्राप्त है? क्या राजनीतिक असहमति को लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है? क्या किसी समुदाय के प्रति संदेह या शत्रुता पैदा करने वाले वक्तव्यों की आलोचना उसी कसौटी पर होती है, चाहे वे किसी भी पक्ष से आए हों? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर किसी दल के दावे से नहीं, उसके व्यवहार से तलाशा जाना चाहिए।

राष्ट्रवाद का अर्थ देश के प्रति निष्ठा, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा और उसके नागरिकों के अधिकारों का सम्मान है। यदि राष्ट्रवाद को किसी एक धर्म की श्रेष्ठता या दूसरे समुदायों की अधीनता से जोड़ दिया जाए, तो वह साझा राष्ट्रीय पहचान के स्थान पर धार्मिक विभाजन को मजबूत कर सकता है। नागरिकों के बीच समानता का अर्थ उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिटाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी पहचान के कारण उनके अधिकार कम या अधिक न हों। यही लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की बुनियाद है।

गांधीजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसमें सत्ता किसी धार्मिक समुदाय की निजी संपत्ति नहीं थी। वह सभी भारतीयों की साझा जिम्मेदारी और अधिकार थी। राष्ट्र की एकता किसी एक धार्मिक पहचान को सर्वोपरि बनाने से नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की समान गरिमा और साझा भविष्य को स्वीकार करने से मजबूत होती है।

इस्लामिक प्रयोग व परंपरा का समुन्नत व्याख्या है रचनात्मक इज्तिहाद



गौतम चौधरी

धर्म और कानून का संबंध केवल आस्था या परंपरा का मामला नहीं है। यह न्याय, नैतिकता और समाज के संचालन से भी जुड़ा है। प्रत्येक धर्म के सामने समय-समय पर यह प्रश्न उपस्थित होता रहा है कि उसकी मूल शिक्षाओं को बदलती सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार समझा जाए और उनका व्यावहारिक उपयोग कैसे किया जाए। इस्लाम के संदर्भ में यह प्रश्न शरीआ, फिकह और इज्तिहाद की अवधारणाओं के माध्यम से सामने आता है। समकालीन इस्लामी चिंतन की एक प्रमुख चुनौती यह है कि धार्मिक विधान की मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक समाज की जटिल समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जाए।

इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले शरीआ और फिकह के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। यह केवल इस्लाम के मानने वालों के लिए ही जरूरी नहीं है अपितु भारत जैसे देश के उन सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को जानना चाहिए, जो समाज को समुन्नत बनाने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। सामान्यतः शरीआ को ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन-पथ और नैतिक मार्गदर्शन के व्यापक सिद्धांतों के रूप में देखा जाता है। इसके इतर, फिकह उन सिद्धांतों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनसे व्यावहारिक कानूनी निष्कर्ष निकालने की मानवीय बौद्धिक प्रक्रिया है। दोनों को एक ही मान लेने से एक महत्वपूर्ण अंतर समाप्त हो जाता है। ईश्वरीय मार्गदर्शन के प्रति आस्था अपनी जगह है, जबकि उस मार्गदर्शन को समझने और लागू करने में मनुष्य की व्याख्या, परिस्थिति और विवेक की भूमिका अपनी जगह है। बरेलवी फिकह के इस्लामिक विद्वान मुफ्ती तुफैल खान कादरी साहब का कहना है कि दोनों के महत्व को इस्लामिक चिंतन में तरजीह दी गयी है।

यही वह वजह है, जिसमें इस्लामी न्यायशास्त्र रचनात्मक चिंतन की संभावनाओं को खोलता है। यदि फिकह को केवल अतीत के विद्वानों द्वारा निर्धारित निष्कर्षों का संग्रह मान लिया जाए, तो बदलती परिस्थितियों में नए प्रश्नों का समाधान कठिन हो सकता है। दूसरी ओर, यदि धार्मिक परंपरा के मूल स्रोतों, स्थापित सिद्धांतों और नैतिक उद्देश्यों की उपेक्षा करके किसी भी नए विचार को स्वीकार कर लिया जाए, तो न्यायशास्त्र की अपनी वैचारिक निरंतरता प्रभावित होगी। इसलिए आवश्यकता न तो अंधाधुनिकता की है और न ही परंपरा के पूर्ण निषेध की। आवश्यकता ऐसी विवेकपूर्ण व्याख्या की है जो परंपरा के ज्ञान और वर्तमान समय की वास्तविकताओं के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर सके।

इसी संदर्भ में इज्तिहाद का महत्व सामने आता है। इज्तिहाद की व्याख्या करते हुए तुफैल साहब बताते

हैं, “इज्तिहाद का सामान्य अर्थ किसी कानूनी या धार्मिक प्रश्न पर उपलब्ध स्रोतों और मान्य विधियों के आधार पर गंभीर बौद्धिक प्रयास करना है। यह केवल व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार नियम बदल देने का नाम नहीं है। इसके लिए धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, न्यायशास्त्रीय परंपरा की समझ, तर्कशक्ति और संबंधित सामाजिक परिस्थितियों का विवेकपूर्ण अध्ययन आवश्यक है।”

इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि इस्लामी बौद्धिक इतिहास में इज्तिहाद की अलग-अलग व्याख्याएँ रही हैं। विभिन्न न्यायशास्त्रीय परंपराओं ने इसकी सीमाओं, विधियों और अधिकार-क्षेत्र पर अलग-अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इसी कारण यह कहना कि किसी एक समय में पूरे इस्लामी जगत में इज्तिहाद के दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए थे, ऐतिहासिक वास्तविकता का अत्यधिक सरलीकरण होगा। इसके बावजूद यह प्रश्न प्रासंगिक है कि क्या कुछ सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों में स्थापित व्याख्याओं का अनुकरण इतना प्रभावशाली हो गया कि स्वतंत्र कानूनी चिंतन की संभावनाएँ सीमित होने लगीं।

तुफैल साहब कहते हैं, “आज इस प्रश्न पर विचार करना इसलिए आवश्यक है कि आधुनिक समाज के सामने ऐसी समस्याएँ हैं, जिनका स्वरूप पहले से काफी अलग है। जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल निजता, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक वित्तीय व्यवस्था और नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों का समाधान केवल पुराने उदाहरणों को दोहराकर नहीं किया जा सकता। इनके लिए मूल धार्मिक सिद्धांतों की समझ के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कानून और मानवीय अनुभवों का ज्ञान भी आवश्यक है।”

इस दृष्टि से इज्तिहाद अतीत से विच्छेद का माध्यम नहीं, बल्कि परंपरा को जीवंत बनाए रखने का एक रास्ता है। वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि धार्मिक चिंतन अपने मूल नैतिक सरोकारों को सुरक्षित रखते हुए नए प्रश्नों का सामना करे।

इस्लामी न्यायशास्त्र में ‘मकासिद अल-शरीआ’ अर्थात् शरीआ के व्यापक उद्देश्यों की अवधारणा इस विमर्श को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। इस परंपरा में धर्म, जीवन, बुद्धि, वंश या परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा जैसे उद्देश्यों पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न विद्वानों ने समय के साथ इन उद्देश्यों की व्याख्या का विस्तार भी किया है। आधुनिक विमर्श में मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक कल्याण को भी इनके साथ जोड़कर समझने के प्रयास किए जाते हैं।

इन उद्देश्यों की प्रासंगिकता केवल धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा तक सीमित नहीं है। इनका वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब किसी नियम की व्याख्या से उत्पन्न सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि किसी प्रचलित व्याख्या के आधार पर अन्याय, उत्पीड़न या अनावश्यक मानवीय पीड़ा को बढ़ावा मिलता है, तो उस व्याख्या की समीक्षा का प्रश्न उठना स्वाभाविक

है। कुछ आधुनिक इस्लामिक चिंतकों का मानना है कि किसी नियम के कठिन परिणाम सामने आने मात्र से उसे स्वतः निरर्थक घोषित नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि उसका मूल आधार क्या है, उसका उद्देश्य किस प्रकार समझा गया है और क्या उसकी कोई दूसरी, अधिक न्यायसंगत तथा परंपरा-सम्मत व्याख्या संभव है।

इस प्रकार न्याय की कसौटी पर विचार करने का अर्थ धार्मिक विधान को मनमाने ढंग से बदलना नहीं है। इसका अर्थ है कि व्याख्या की प्रक्रिया में उसके नैतिक उद्देश्यों, मानवीय परिणामों और सामाजिक परिस्थितियों को गंभीरता से लिया जाए। धर्म की नैतिक शक्ति तभी व्यापक सामाजिक विश्वास अर्जित कर सकती है, जब उसके अनुयायी उसके सिद्धांतों को न्याय, दया और मानवीय गरिमा के साथ जोड़कर समझने का प्रयास करें।

आज मानवाधिकार, लैंगिक समानता, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा जैसे विषय सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में हैं। इन विषयों पर इस्लामी विद्वानों और विचारकों के बीच भी मतभेद हैं और बहस जारी है। कुछ विचारक पारंपरिक व्याख्याओं के भीतर समाधान खोजते हैं, जबकि कुछ स्थापित मान्यताओं की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हैं। इन मतभेदों को केवल धर्म और आधुनिकता के संघर्ष के रूप में देखना उचित नहीं होगा। इनके भीतर धार्मिक स्रोतों की व्याख्या, सामाजिक बदलाव और न्याय की अलग-अलग अवधारणाओं से जुड़े गंभीर प्रश्न भी शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, परिवार और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते समय केवल किसी एक प्रचलित मत को अंतिम उत्तर मान लेना पर्याप्त नहीं है। संबंधित धार्मिक स्रोतों, न्यायशास्त्रीय मतभेदों, ऐतिहासिक संदर्भों और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार वित्तीय लेन-देन के क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, नए निवेश माध्यमों और बदलते आर्थिक संबंधों से उत्पन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के साथ आधुनिक अर्थव्यवस्था की समझ भी जरूरी है।

इन मामलों में न तो हर आधुनिक विचार को बिना परीक्षण स्वीकार करना चाहिए और न ही केवल इसलिए अस्वीकार कर देना चाहिए कि वह अतीत में प्रचलित नहीं था। किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन उसके तर्क, प्रमाण, नैतिक आधार और व्यावहारिक परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। यही दृष्टिकोण धार्मिक चिंतन को संकीर्णता से बचाते हुए उसे समकालीन समाज के साथ संवाद करने योग्य बना सकता है।

रचनात्मक इज्तिहाद को केवल एक सैद्धांतिक नारा बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। इसे व्यवहार में उतारने के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं। पहला, धार्मिक शिक्षा में मूल ग्रंथों के अध्ययन के साथ इतिहास, दर्शन, तर्कशास्त्र और समकालीन सामाजिक विज्ञानों को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। इससे विद्वान धार्मिक परंपरा को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझ सकेंगे और वर्तमान समस्याओं का अधिक व्यापक विश्लेषण शेष पृष्ठ 5 पर.....



कुलदीप शर्मा

लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और किसी पीढ़ी को न्याय मिलने का अधिकार दोनों का समान महत्व है। लेकिन जब कोई विवाद राजनीतिक सत्ता, प्रभावशाली व्यक्तियों और संवैधानिक पदों से जुड़ जाता है, तब न्याय की निष्पक्षता को लेकर उठने वाले सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति ने एक बार फिर यही प्रश्न सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। सितंबर 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेशनस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। यह बलात्कार और उसके बाद की गयी हत्या का मामला था। मई 2025 में अदालत ने इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों ने सार्वजनिक असंतोष को जीवित रखा है। दुष्यंत गौतम की इस मामले में सलिप्तता एक ऑडियो के वायरल होने से हुई जिसमें कथित तौर पर दुष्यंत गौतम की आवाज है और अंकिता को किसी वी आई पी सर्विस को देने के लिए बाध्य किये जाने का प्रमाण होने की बात कही गयी है।

विवाद के एक बाद के चरण में वायरल ऑडियो और सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों के माध्यम से दुष्यंत गौतम का नाम इस प्रकरण से जुड़ गया। जैसा कि अक्सर होता है गौतम ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और इसे अपनी तथा भाजपा की छवि खराब करने की साजिश बताया। उन्होंने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। इसलिए यह स्पष्ट रखना आवश्यक है कि किसी कथित रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट या राजनीतिक बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। आरोपों की सत्यता का निर्धारण साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए।

अब आप इसमें केंद्र में सत्तासीन बीजेपी का एक रिकॉर्ड देखिये। ये आपराधिक छवि और यहां तक कुकृत्य करने वाले लोगों को भी कानूनी आंच से बचा ले जाने की कला में माहिर हैं इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। बस आपके पास राजनैतिक ताकत और बेशर्मी का अनैतिक मिश्रण होना चाहिए। थोड़ी सी ठीठता होनी चाहिए। फिर बृजभूषण शरण सिंह हो या कुलदीप सेंगर, मणिपुर का मामला हो या हेमंत बिस्वा सरमा, शिवेन्दु अधिकारी हों या बी.एस. येदियुरप्पा सब के सब कुछ भी करने के बाद भी कानूनी कार्रवाई से बचे रहेंगे। दुष्यंत गौतम को किसी सम्भावित गिरफ्तारी से बचाने के लिए ही 19 अक्टूबर 2026 को मोदी सरकार ने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ दिला दी। यानि दुष्यंत के गिर्द राजभवन की सुरक्षा का एक सुदृढ़ किला बना दिया। यह भले ही संवैधानिक रूप से एक स्वीकार्य प्रक्रिया के तहत

दुष्यंत गौतम के लिए राजभवन का कवच

अंकिता भंडारी प्रकरण, संवैधानिक मर्यादा और जवाबदेही का सवाल

किया गया हो लेकिन जनमानस में इससे होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों का अनुमान मोदी सरकार को नहीं है। वे इसके लिए तैयार भी नहीं हैं। किसी भी आरोपी या तथाकथित सम्भावित अपराधी को राजनैतिक सुरक्षा देकर उसे कानूनी इम्युनिटी देना अब इस सरकार में पुरानी आदत की तरह हो गयी है। ऐसी बातों को लेकर जनसाधारण का आक्रोश भी कहीं जाहिर तौर पर देखने में नहीं आता। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला और बड़ा कारण है मीडिया का सत्ता के साथ खड़े होना। मोदी से पहले मीडिया ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाता था और जनसाधारण के अंदर ओपिनियन निर्माण करने का काम करता था। वह एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया के रास्ते झाड़-झंखाड़ साफ करता था। लोगों को अपने तौर पर सच्चाई जानने या उसकी परख करने का एक रास्ता खुला रहता था। अब सच्चाई को मीडिया के ग्लेमर और पहुंच की ताकत से ढक दिया जाता है। मीडिया एक शर्मनाक सत्र तक सत्ता के चरणों में लोटपोट है। दूसरा बड़ा कारण है मोदी खुद। मोदी ने सत्ता में आते ही पहला काम जो किया वह था एक छद्म छवि गढ़कर हिन्दू और हिंदुत्व की धारा में सोचनेवालों के लिए अपने आपको अपरिहार्य, अप्रश्नेय, अविकल्पनीय बना देना। यह सब एक सुनियोजित ढंग से हुआ। यही वजह थी कि महंगाई की मार से बचाने वाली सरकार का नारा देकर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार जब ताबड़तोड़ महंगाई बढ़ाती गयी तब भी उनके कुख्यात अंधभक्तों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। यहां तक कह दिया की पेट्रोल 500 रु डलवा कर भी मोदी को ही लाएंगे। जब देशभर में ऐसी अंध-मूढ़ स्थिति हो तो फिर वोट चोरी से सरकार बने, देश पर अभूतपूर्व कर्ज हो जाए, एक के बाद एक सरकारी संस्थान और संसाधन कुछ चहेतों को बेच दिए जाएं, राफेल सौदे में लूट हो, या अमेरिका के पास देश की अस्मिता को गिरवी रखकर 100% टैरिफ लग जाए, जनता को बिना बताए उनकी गाड़ियों में पेट्रोल की जगह एथनोल आना शुरू हो जाए, देश की गिरती अर्थव्यवस्था शोचनीय स्थिति में पहुंच जाए, किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है। मीडिया, नौकरशाही, बड़े व्यापारी, अंधभक्त मोदी के पक्ष में मुखर होकर जिस शोर का निर्माण करते हैं, उसमें कितना सच कितने तर्क छुप जाते हैं। उनके लिए एक हिन्दू हृदय सम्राट ही हिन्दू राष्ट्र लाएगा और बचाएगा। जिस क्रूरता के साथ युवाओं के आन्दोलन को कुचलने के लिए पुलिसबल का प्रयोग किया गया, उससे भी देश के लोगों की तन्द्रा नहीं टूटी। अपने पर हो रहे जुल्मों के प्रति इस तरह की रीढ़हीन उपेक्षा दूसरे अन्यायों के लिए भी रास्ता खोलती है या निर्मम शासन को नये उपकरणों से दमन का आमन्त्रण देती है। दुष्यंत गौतम की ताजपोशी भी उसी दमन-प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहां पीड़ित के लिए न्याय की सम्भावनाओं को सीमित किया गया है। अब अंकिता भंडारी के माता पिता दिल्ली में इस विवादित ताजपोशी के विरुद्ध धरने पर बैठे हैं और उधर दुष्यंत सिक्किम के राजभवन में लड्डू बांट रहे हैं। यह हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं की अत्येष्टि की तरह है। यह हमारे संविधान का उदास चेहरा है। यह देश के भीतर चल रहे सत्ता और आम आदमी के बीच बढ़ती दूरी का सूचकांक है। हालांकि कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा सहित विपक्षी नेताओं ने इस नियुक्ति के विरोध में कहा है कि इस नियुक्ति से दुष्यंत को संभावित कानूनी

कार्रवाई से बचाने का काम किया गया है। पर मोदी का कहना है कि विपक्ष का आरोप राजनीती से प्रेरित है। मजे की बात है कि यही तो विपक्ष का भी सवाल है, कि एक जघन्य अपराध में आरोपित व्यक्ति को राज्यपाल बना देना सत्ता का राजनैतिक दुरुपयोग है। विधिवेत्ताओं का पलटवार है कि आरोप कोई स्थापित न्यायिक निष्कर्ष नहीं होता। फिर भी, इतना तो सभी मानते हैं कि इस आरोप के पीछे निहित संवैधानिक प्रश्न को केवल राजनीतिक ढकोसलेबाजी से खारिज नहीं किया जा सकता। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी को राज्यपाल जैसे लीगल इम्युनिटी धारक पद पर आसीन करना नैतिक रूप से गलत है। जाहिर है कि ऐसे मामले में राजभवन राजनैतिक संरक्षण का प्रतीक बन जाता है।

राज्यपाल का पद भारतीय संविधान की गरिमा और संघीय व्यवस्था की मर्यादा से जुड़ा है। राज्यपाल किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में राजनीतिक निर्णय की भूमिका हो सकती है, लेकिन पद ग्रहण करने के बाद उससे अपेक्षा की जाती है कि उसकी सार्वजनिक भूमिका दलगत हितों से ऊपर दिखाई दे। यह भी देश की बड़ी विडम्बना है कि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। इन सालों में तो राज्यपाल कमोबेश पार्टी कार्यकर्ता की ही भूमिका में रहते हंभ और वैसे ही काम करते हैं।

यहीं दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर उठे सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर सार्वजनिक आरोप चर्चा में हों और उन आरोपों की निष्पक्ष जांच को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा हो, तो संवैधानिक पद पर उसकी नियुक्ति से स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठती है।

हालांकि, यह कहना कि राज्यपाल नियुक्त होने मात्र से किसी व्यक्ति को स्थायी कानूनी छूट मिल जाती है,

तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपाल को पदावधि के दौरान कुछ विशिष्ट कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण संवैधानिक पद की गरिमा और स्वतंत्रता से संबंधित है, इसे आरोपों से निर्दोष होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन क्रियात्मक रूप से अगर पिछली जिन्दगी से सम्बन्धित कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो भी राज्यपाल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकती। लीगल पार्लस में संविधान के अनुच्छेदों की परिभाषा की तलाश में ही मामला बिला जाता है।

इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि नियुक्ति कानूनी रूप से संभव थी या नहीं। प्रश्न यह भी है कि क्या ऐसी नियुक्ति से पहले विवादित तथ्यों की निष्पक्ष जांच और सार्वजनिक विश्वास को पर्याप्त महत्व दिया गया?

अंकिता भंडारी केवल एक आपराधिक मामले की पीड़िता नहीं है। वह उस व्यवस्था की परीक्षा का प्रतीक बन गई है जिसमें एक युवा महिला की सुरक्षा, उसकी गरिमा और उसके लिए न्याय की मांग सत्ता तथा प्रभावशाली लोगों के सवालों से टकराती दिखाई देती है।

अंकिता के परिवार और न्याय की मांग कर रहे लोगों की आशंकाओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए था। यदि कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य हैं, तो उनकी स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच होनी चाहिए। यदि कोई आरोप निराधार है, तो उसे भी तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। न्याय का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को पराजित करना या किसी दूसरे दल की छवि बचाना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना होना चाहिए।

राजभवन की प्रतिष्ठा केवल उसके भवन, पद की औपचारिक गरिमा या संवैधानिक अधिकारों से नहीं बनती। उसकी प्रतिष्ठा इस विश्वास से बनती है कि वहां बैठे व्यक्ति के लिए संविधान, न्याय और सार्वजनिक नैतिकता के

कोई मायने है?

राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण का उद्देश्य पद को अनुचित हस्तक्षेप से बचाना है, न कि सार्वजनिक प्रश्नों से परे एक अभेद्य दीवार खड़ी करना। कानूनी संरक्षण और नैतिक जवाबदेही दो अलग बातें हैं। किसी पदाधिकारी को कानून के अंतर्गत मिलने वाली सुरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उससे यह अपेक्षा समाप्त नहीं हो जाती कि वह अपने आचरण और सार्वजनिक भूमिका के बारे में उठने वाले सवालों का उचित उत्तर दे। दुष्यंत गौतम को राजभवन में भेजकर एक बार फिर सत्ता पक्ष ने इस भावना को बल दिया है कि भाजपा में कोई कैसा भी कदाचार कर ले पूरी भाजपा सरकार उसे बचाने में जुट जाती है। सोशल मीडिया पर चल रहे सारे आरोप एक आपराधिक दबंगता में दब जाते हैं।

केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि संवैधानिक नियुक्तियों के संबंध में उठने वाली गंभीर आशंकाओं को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में न देखे। पारदर्शिता, विश्वसनीय जांच और स्पष्ट सार्वजनिक संवाद ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को मजबूत कर सकते हैं।

यह बहुत आवश्यक है कि अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े अनुत्तरित प्रश्नों को राजनीतिक सुविधा के नाम ठंगा न दिखाया जाए।

किसी प्रभावशाली व्यक्ति को उसके पद, राजनीतिक संबंधों या संवैधानिक संरक्षण के कारण जांच और जवाबदेही से परे मान लेना न्याय की हत्या के बराबर है।

राजभवन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों का प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन उसे ऐसे आरोपों से जुड़े सवालों के लिए मौन का कवच भी नहीं बनना चाहिए।

अंकिता को न्याय, आरोपों की निष्पक्ष जांच और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता इन तीनों को एक साथ साधना ही लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी है। न्याय तभी विश्वसनीय होगा, जब वह न सत्ता से डरे, न विपक्ष के दबाव में झुके और न ही किसी व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत देखकर अपना रास्ता बदले।

इस्लामिक प्रयोग व परंपरा का समुन्नत व्याख्या है.....पृष्ठ 4 का शेष

कर पाएंगे।

दूसरा, जटिल सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच संवाद विकसित किया जाना चाहिए। किसी नई चिकित्सा तकनीक, वित्तीय व्यवस्था या डिजिटल निगरानी के नैतिक पक्ष का आकलन केवल एक विषय के ज्ञान से संभव नहीं है। ऐसे मामलों में धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों, विधिवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संयुक्त भागीदारी अधिक उपयोगी हो सकती है।

तीसरा, धार्मिक व्याख्याओं में मतभेद को बौद्धिक शत्रुता का कारण बनाने के बजाय तर्कपूर्ण विमर्श का अवसर समझना चाहिए। इस्लामी न्यायशास्त्र का इतिहास विभिन्न मतों और विधियों से समृद्ध रहा है। इस विरासत का रचनात्मक उपयोग तभी संभव है, जब असहमति को स्थान मिले और किसी मत की आलोचना को स्वतः धार्मिक आस्था पर आक्रमण न माना जाए।

चौथा, किसी भी नई व्याख्या के सामाजिक परिणामों का गंभीर परीक्षण होना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि उससे न्याय, मानवीय गरिमा और सार्वजनिक कल्याण को कितना लाभ मिलता है। साथ ही, उसके आधार,

तर्क और सीमाएँ सार्वजनिक रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए, ताकि धार्मिक निर्णय केवल अधिकारपूर्ण घोषणा बनकर न रह जाएं।

इन उपायों का उद्देश्य धार्मिक परंपरा को बाहरी दबावों के अनुरूप ढालना नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद बौद्धिक संसाधनों का उपयोग करके वर्तमान समय की समस्याओं का उत्तर खोजना है।

धार्मिक परंपराओं की शक्ति केवल उनकी प्राचीनता में नहीं होती। उनकी शक्ति इस बात में भी होती है कि वे मनुष्य के बदलते अनुभवों, नई चुनौतियों और नैतिक प्रश्नों के साथ किस प्रकार संवाद करती हैं। इस्लामी न्यायशास्त्र के सामने भी यही चुनौती है। यदि फिकह को केवल अतीत में दिए गए निर्णयों की पुनरावृत्ति तक सीमित कर दिया जाए, तो उसके सामने नई परिस्थितियों को समझने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। यदि दूसरी ओर हर प्रश्न का समाधान केवल वर्तमान सामाजिक प्रचलन के आधार पर खोजा जाए, तो धार्मिक परंपरा की विशिष्टता और आंतरिक तर्क की उपेक्षा होने का खतरा रहेगा।

इसलिए रचनात्मक इज्तिहाद का रास्ता दोनों अतियों से बचने का रास्ता है। इसमें धार्मिक स्रोतों के प्रति गंभीरता, ऐतिहासिक परंपरा का सम्मान, स्वतंत्र

विवेक, प्रमाण-आधारित तर्क और मानवीय परिणामों के प्रति संवेदनशीलता एक साथ आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें असहमति होगी, बहस होगी और कुछ प्रश्नों पर लंबे समय तक एकमत निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। फिर भी गंभीर बौद्धिक संवाद से बचना किसी जीवंत परंपरा का समाधान नहीं हो सकता।

ईश्वर के विधान की खोज को मनुष्य द्वारा उसके अर्थ को समझने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इस्लामी चिंतन में यह प्रयास तभी सार्थक होगा, जब वह आस्था और विवेक, परंपरा और परिवर्तन तथा धार्मिक प्रतिबद्धता और मानवीय न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करे। किसी भी धार्मिक व्याख्या की विश्वसनीयता केवल उसके प्राचीन होने से सिद्ध नहीं होती। उसके तर्क, संदर्भ और मानवीय परिणाम भी महत्वपूर्ण होते हैं।

तुफैल साहब कहते हैं, “धर्म की बौद्धिक जीवंतता का प्रमाण यह नहीं कि उसके पास हर प्रश्न का एक अपरिवर्तित उत्तर मौजूद है, बल्कि यह है कि वह अपने मूल नैतिक स्रोतों के प्रति निष्ठावान रहते हुए नए प्रश्नों का सामना करने का साहस रखता है। रचनात्मक इज्तिहाद इसी साहस का नाम है।”

पर्यटन क्षेत्र में 15 हजार करोड़ के निवेश की योजना:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी पांच वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में 10,000 से

मजबूत की जाएगी। मुख्यमंत्री नालदेहरा में 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित कोटी गोल्फ कप-2026 के समापन



15,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। हाई-एंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन अधोसंरचना और हवाई कनेक्टिविटी

समारोह में बोल रहे थे। प्रतियोगिता में 80 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हवाई सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के तहत 35 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट सुविधाओं से जोड़ने और शिमला के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने की दिशा में भी प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में 60 ईको-टूरिज्म साइट्स लीज पर देने से 22 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुध सिंह ने बताया कि नालदेहरा गोल्फ कोर्स के विकास के लिए सरकार ने 1.82 करोड़ रुपये दिए हैं और इसे पर्यटकों के लिए भी खोला गया है।

दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित पद भरना सरकार की प्राथमिकता : शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्मल) धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार दृष्टिबाधित लोगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता है।

शिमला में ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और दृष्टिबाधित लोगों के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे उठाए गए।

शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ज़रूरतमंद वर्गों को आवश्यक सुविधाएं और सहयोग देने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक में संघ और महासंघ की ओर से रखे गए मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मंत्री ने उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सी.पी. वर्मा, शहरी विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिंह, निदेशक सुमित खिमटा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

वाल्मीकि मंदिर को 25 लाख, कृष्णा नगर के परिवारों के कल्याण की योजना पर विचार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने महर्षि वाल्मीकि

की गणना करवाकर उनके कल्याण के लिए योजना बनाने पर विचार किया



जयंती पर शिमला के कृष्णा नगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका और मंदिर के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृष्णा नगर के परिवारों और वहां स्थित मकानों

जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया। प्रदेश सरकार ने पात्र

वाल्मीकि समुदाय के सफाईकर्मियों के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू की है। इसके तहत वार्षिक आय अढ़ाई लाख रुपये से कम और पक्का मकान नहीं रखने वाले पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कृष्णा नगर में मेडिकल कैप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्थन सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समझ मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पुस्तक भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं के अध्ययन को नई दिशा देगी।

कुल्लू के 1.3 मीट्रिक टन अनार दुबई निर्यात

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुल्लू जिले में उत्पादित सिंदूरी किस्म के 1.3 मीट्रिक टन अनार दुबई निर्यात किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए घरेलू और विदेशी बाजारों तक पहुंच उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इन अनारों को कुल्लू के किसानों और भुंतर स्थित किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से एकत्र किया गया। इस संगठन से करीब 600

किसान जुड़े हैं। अनार की आपूर्ति करने वाले किसानों में रीना देवी, संजय कुमार, नितिश कुमार और वीर सिंह गुलेरिया शामिल हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने निर्यात में सहयोग दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी वर्ष जून में शिमला जिले के जड़ोल-टिक्कर और बागी क्षेत्र के किसानों की 400 किलोग्राम चैरी और 400 किलोग्राम प्लम की खेप भी ओमान भेजी गई थी।

मुख्यमंत्री ने किसानों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले फल और फसलें उगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के कृषि और बागवानी उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

हिमाचल में नई पोषण नीति 2026 को मंजूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुपोषण, खून की कमी और खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 को मंजूरी दी है। नीति में पारंपरिक हिमाचली खानपान को बढ़ावा देने और लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक व किफायती भोजन उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है।

नीति के तहत स्थानीय दालों, मोटे अनाज, मौसमी फलों, हरी सब्जियों और दुग्ध उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, किशोरों और कमजोर वर्गों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने का भी प्रस्ताव है।

पोषण योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी

और महिला एवं बाल विकास सहित संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर पोषण समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन और प्रदेश में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है। धर्मशाला में प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नीति में मोबाइल खाद्य परीक्षण सुविधाओं, जल गुणवत्ता की निगरानी और पोषण संबंधी आंकड़ों के लिए डिजिटल पोर्टल का भी प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नीति का उद्देश्य कुपोषण कम करना, खाद्य गुणवत्ता की निगरानी बेहतर बनाना और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है।

वन्यजीव बोर्ड की 12वीं बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन्यजीव विंग से प्रदेश में बंदरों की संख्या का पंचायतवार डेटा मांगा। उन्होंने देहरा के बनखंडी में निर्माणाधीन दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में औद्योगिक परियोजनाओं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे, सड़क विस्तार और वन भूमि के उपयोग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बोर्ड ने कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस औद्योगिक क्षेत्र में सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की औषधि निर्माण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की चौकियां स्थापित करने के लिए लाहौल-स्पीति और किन्नौर में वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। किन्नौर के सांगला क्षेत्र में सैन्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रकड़म-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य के भीतर वन भूमि के उपयोग का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया।

बोर्ड ने मंडी जिले के शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य में भुलाह-शिकारी देवी सड़क के विस्तार और उन्नयन से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया। इसके अलावा गोयल

बंदरों की पंचायतवार गणना के निर्देश

फर्नेस प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार के अनुसार, इन प्रस्तावों को संबंधित वैधानिक प्रावधानों, पर्यावरण सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई।

बैठक में मंडी जिले में कीरतपुर-मनाली फोरलेन के पुंग-भुवाणा टनल खंड पर सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने बनखंडी में

निर्माणाधीन प्राणी उद्यान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान वन्यजीव विंग और हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल के सहयोग से तैयार पोस्टकार्ड श्रृंखलाओं 'हिमाचलस वाइल्ड आइकॉन्स' और 'हिमाचलस वाइल्ड हेरिटेज' का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ. संजय सूद की पुस्तक 'सिप्लिफाइड प्रोसीजर्स फॉर एनालिसिस ऑफ फिजियो केमिकल टेस्ट्स इन वाटर सैंपल्स' का भी विमोचन किया।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, वरिष्ठ अधिकारी और बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।

चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन में भागीदार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने एसजेवीएन के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के एंटी-चिट्टा जन आंदोलन से जुड़कर नशे के खिलाफ अभियान का एबैस्टर बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए परिवारों, शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों और समाज के सभी वर्गों

की भागीदारी ज़रूरी है।

अशोक तिवारी शिमला स्थित एसजेवीएन मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर, 2025 को रिज मैदान से शुरू किए गए एंटी-चिट्टा जन आंदोलन का उद्देश्य नशे के खिलाफ संघर्ष को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ना है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने, नशे की तस्करी से जुड़ी जानकारी

बनें एसजेवीएन कर्मचारी:पुलिस महानिदेशक

पुलिस के साथ साझा करने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों के प्रति संवेदनशीलता बरतने का आहवान किया।

डीजीपी ने पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ईआरएसएस-112 के प्रदर्शन में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर 34वें स्थान पर रही यह सेवा अब पहले स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कर्मचारियों से हेल्पलाइन 112 और

इसकी 'ट्रैक मी' सुरक्षा सुविधा के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम 'समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा' पर बोलते हुए उन्होंने निवारक सतर्कता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और नैतिक नेतृत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को समयबद्ध निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें अनावश्यक जांच के भय से मुक्त वातावरण मिलना चाहिए।

संजौली-रामपुर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू तीन अन्य शहरों को जोड़ने का लक्ष्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्ख ने शिमला के संजौली से रामपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के तहत शुरू हुई यह सेवा सप्ताह में तीन दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चार माह में हमीरपुर, चंबा और पालमपुर के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी।

निर्धारित समय-सारणी के अनुसार हेलीकॉप्टर सुबह 9:55 बजे संजौली से उड़ान भरकर 10:30 बजे रामपुर पहुंचेगा। इसके बाद 10:50 बजे रामपुर से रिकांगपिओ के लिए उड़ान होगी, जो 11:25 बजे पहुंचेगी। वापसी में हेलीकॉप्टर 11:30 बजे रिकांगपिओ से रवाना होकर दोपहर 12:05 बजे रामपुर पहुंचेगा। रामपुर से 12:10 बजे उड़ान भरकर यह 12:45 बजे संजौली पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा से पहाड़ी क्षेत्रों में सफर का समय कम होगा और पर्यटन तथा स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क सुविधा से

हफ्ते में तीन दिन मिलेगी सुविधा, सरकार हर माह खर्च करेगी 35.70 लाख रुपये

जोड़ना है।

उन्होंने बताया कि इन उड़ानों के संचालन के लिए सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के तहत हर महीने

अपने संसाधनों से 2,400 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है। हवाई अड्डे का विस्तार होने के बाद इसे हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला



लगभग 35.70 लाख रुपये खर्च करेगी। प्रदेश में जिला मुख्यालयों सहित कुल 16 हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास पर भी काम किया जा रहा है। शिमला में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए जमीन चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत प्रदेश सरकार

मुख्यालयों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्थन, महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, हिमकॉन अध्यक्ष विकेश चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और पवन हंस लिमिटेड के अधिकारी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

नशे पर रोक के लिए कानून, जागरूकता और सामाजिक सहयोग जरूरी

एचपीयूआईएलएस में राष्ट्रीय संगोष्ठी, युवाओं से नशे के खिलाफ आगे आने का आहवान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं राज्य

वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल



विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर ने कहा कि नशे की समस्या का समाधान केवल चर्चा और कानूनी कारवाई से नहीं होगा। इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सकारात्मक बदलाव अपनाने का आहवान किया।

स्टडीज (एचपीयूआईएलएस) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित नशामुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मानव कल्याण को प्राथमिकता देने वाला समाज बनाना होना चाहिए।

विधि विभाग के अधिष्ठाता

प्रो. ललित मोहन डडवाल ने कहा कि नशे की समस्या केवल चिकित्सकीय नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी चुनौती भी है। इसके समाधान के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और संस्थानों के बीच समन्वय जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य प्रो. ममता मोक्टा ने उद्घाटन सत्र में युवाओं से नशे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने की अपील की। उन्होंने रोकथाम और परामर्श को महत्वपूर्ण बताया।

संगोष्ठी में कानून, चिकित्सा, मनोविज्ञान और पुलिस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने नशे तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वक्ताओं ने जागरूकता, प्रभावी परामर्श, कानूनी कारवाई और सामाजिक भागीदारी को नशे की रोकथाम के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।

शहीदों का बलिदान हमारी प्रेरणा, उनके परिवार हमारी जिम्मेदारी:डीजीपी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 21 अक्टूबर को शिमला के पुलिस मैदान भराड़ी में पुलिस स्मृति

पुलिस मैदान भराड़ी में मनाया पुलिस स्मृति दिवस, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने अपने



दिवस मनाया। इस दौरान देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में औपचारिक परेड आयोजित की गई और शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया।

सदेश में पुलिस कर्मियों के साहस और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्होंने शहीदों के परिवारों के त्याग और साहस

को भी नमन किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्ख ने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने संवेदनशील और जनहित में काम करने वाली पुलिस व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि शहीदों के परिवारों की क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, शहीदों का बलिदान हमारी प्रेरणा है और उनके परिवार हमारी जिम्मेदारी हैं। उन्होंने परिवारों के सम्मान और कल्याण को पुलिस की प्राथमिकता बताया।

पुलिस स्मृति दिवस वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के दस जवानों की याद में मनाया जाता है। इस दिन देश के सभी पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है।

हिमाचल की पहली मोनोरेल परियोजना शुरू, बागवानों को मिलेगी सुविधा

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी जिले के पलहोता-2 में प्रदेश की पहली एचपी शिवा मोनोरेल परियोजना का उद्घाटन किया। करीब 20 लाख रुपये की लागत से बनी एक किलोमीटर लंबी इस परियोजना से दुर्गम और ढलानदार क्षेत्रों में उगाए जाने वाले फलों व अन्य कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान होगा।

यह मोनोरेल 28.44 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले एचपी शिवा क्लस्टर पलहोता-2 में बनाई गई है। इससे जुड़े 85 किसान परिवारों को परिवहन में लगने वाले समय और श्रम की बचत होने की उम्मीद है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि

प्रदेश सरकार बागवानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। मोनोरेल जैसी सुविधाओं से पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उपज की ढुलाई की समस्या कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि एशियाई विकास बैंक से वित्तपोषित 1,292 करोड़ रुपये की एचपी शिवा परियोजना बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों में लागू की जा रही है। इसकी अवधि जून 2030 तक बढ़ाई गई है। परियोजना के पहले चरण में 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र का काम पूरा करने और क्लस्टर किसानों को सौंपने की समय-सीमा 28 फरवरी, 2027 तक की गई है।

कृषि मशीनरी खरीदने के लिए किसानों को मिलेगा 50 फीसदी अनुदान

शिमला/शैल। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर अनुदान देने के लिए कृषि मशीनरी पोर्टल 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से फिर सक्रिय किया जा रहा है। किसान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए पावर टिलर, पावर वीडर सहित विभिन्न कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। यह सुविधा सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत उपलब्ध है। इच्छुक किसान

agrimachinery.nic.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

प्रवक्ता के अनुसार, 30 अक्टूबर को लॉन्चिंग के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। लघु एवं सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को निर्धारित नियमों के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

विभाग ने किसानों से समय पर आवेदन करने और उपकरण खरीदते समय भारत सरकार में पंजीकृत फर्म तथा स्वीकृत मॉडल का ही चयन करने की अपील की है, ताकि अनुदान प्राप्त करने में परेशानी न हो।

राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन में युवाओं ने दिया जागरूकता का संदेश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने एचआईवी-एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए पीटरहॉफ शिमला में राज्य स्तरीय मैराथन 'रेड रन' का आयोजन किया। 'यूथ फॉर एचआईवी एंड एसटीआई' थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बेरी ने महिला और पुरुष वर्ग की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रेड रन में शिमला, बिलासपुर, मंडी, सोलन, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर के 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दौड़ पीटरहॉफ से सीटीओ तक आयोजित की गई। पुरुष वर्ग में शिमला के जतिन प्रथम, ध्रुव द्वितीय और

हमीरपुर के आर्यन तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हमीरपुर की शिवाली प्रथम, ऊना की रविना द्वितीय और हमीरपुर की राशि तृतीय स्थान पर रहीं। समिति के अनुसार, इंजेक्शन से नशीले पदार्थों का सेवन करने और संक्रमित सुई साझा करने से एचआईवी तथा हेपेटाइटिस-बी और सी का खतरा बढ़ सकता है। प्रदेश के नौ जिलों में 20 ओएसटी केंद्रों के माध्यम से परामर्श और उपचार संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं।

प्रतियोगिता में चयनित दो लड़के और दो लड़कियां 3 नवंबर को पटना में होने वाली राष्ट्रीय रेड रन प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में नशे और एचआईवी पर जागरूकता फैलाने के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं।

नशा तस्कर की 48.30 लाख की संपत्ति जब्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 'एंटी चिट्टा अभियान' के तहत कांगड़ा जिले में एक नशा तस्कर की 48,30,997 रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कारवाई पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आरोपी कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील के गांव सिरत का निवासी है। 30 जुलाई, 2023 को इमटाल थाना क्षेत्र के भद्राया में नाकाबंदी के दौरान उसके कब्जे से 10.1 ग्राम चिट्टा और 8,500 रुपये बरामद हुए थे। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में भी हेरोइन बरामदगी के दो मामले दर्ज किए गए थे।

पुलिस की वित्तीय जांच में आरोपी

की 48.30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला। इसमें इंदौरा तहसील के छन्नी गांव में 45,90,557 रुपये मूल्य का आवासीय मकान और 2,40,440 रुपये की अन्य संपत्ति शामिल है। संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की सक्षम प्राधिकारी ने 9 जुलाई, 2025 को पुष्टि की थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे जब्त किया गया।

पुलिस ने आम जनता से नशा तस्करी से जुड़ी जानकारी साझा करने की अपील करते हुए कहा कि नशे के अवैध कारोबार और इससे अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि तस्करी के नेटवर्क को तोड़कर युवाओं को नशे से बचाया जा सके।

शिमला जिले में जयराम का सियासी शक्ति प्रदर्शन, सुक्खू सरकार पर चौतरफा हमला

शिमला/शैल। शिमला जिले के ठियोग, रोहड़ू, जुब्बल-कोटरवाई और चौपाल में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के



दौरे महज नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रहे। इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनावी मोर्चाबंदी तेज करने, पंचायत चुनावों के नतीजों को राजनीतिक समर्थन के प्रमाण के रूप में पेश करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्थानीय मुद्दों को धार देने की कोशिश की। जयराम ठाकुर ने चारों क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व, सरकार की आर्थिक नीतियों, चुनावी गारंटियों, संस्थानों को बंद करने और विकास कार्यों की गति पर सवाल उठाए। भाजपा का दावा है कि पंचायत चुनावों में मिले समर्थन का असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा, जबकि इन दावों की असली परीक्षा अगले विधानसभा चुनाव के जनादेश में होगी।

दौरे का केंद्रीय राजनीतिक संदेश कांग्रेस सरकार को घेरना और भाजपा को सत्ता में वापसी के लिए तैयार विकल्प के रूप में पेश करना रहा। ठियोग में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की घोषणाओं और वास्तविक कामकाज के बीच अंतर बढ़ा है। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने और युवाओं को पांच लाख सरकारी नौकरियां देने के वादों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उनका आरोप था कि सरकार इन वादों को अपेक्षित स्तर पर पूरा नहीं कर पाई और अब नए जिलों के गठन की चर्चा के जरिए जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी

दी कि यदि जिलों का गठन राजनीतिक समीकरणों के आधार पर किया गया तो भाजपा की सरकार बनने पर इस फैसले की समीक्षा की जाएगी।

रोहड़ू में भी जयराम ठाकुर ने विकास और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने क्षेत्र की अनदेखी की है। उन्होंने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठाते हुए इसे विकास कार्यों की सुस्ती से जोड़ा। साथ ही आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का ध्यान शासन और विकास के बजाय राजनीतिक अस्थिरता तथा अपनी कुर्सी बचाने पर केंद्रित है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और मंत्रियों की

भूमिका को लेकर असंतोष होने के उनके दावे भी राजनीतिक हमले का हिस्सा रहे।

जुब्बल-नावर-कोटरवाई में भाजपा ने बागवानों के मुद्दे को प्रमुखता दी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सेब उत्पादकों को उनकी उपज का दाम तय करने और बागवानी हितों की रक्षा करने के वादे किए, लेकिन बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत खरीदे गए सेब के भुगतान सहित किसानों-बागवानों की समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को खरीदे गए उत्पाद का भुगतान और खरीद व्यवस्था से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। यह मुद्दा शिमला जिले की राजनीति में अहम है, क्योंकि बागवानी क्षेत्र की आय, खरीद व्यवस्था और भुगतान में देरी सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस की चुनावी गारंटियों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर के उदाहरण के

रूप में पेश किया।

चौपाल के नेरवा में जयराम ठाकुर ने सरकार की नीतियों को 'व्यवस्था परिवर्तन' के बजाय 'व्यवस्था पतन' करार दिया। उन्होंने हिमकेयर, सहारा, स्वावलंबन और जनमंच जैसी भाजपा सरकार के समय की योजनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने इन्हें बंद किया या इनके बजट और संचालन को प्रभावित किया। उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपये, मुफ्त बिजली, दूध और गोबर खरीद तथा रोजगार से जुड़े वादों पर भी सवाल उठाए। चिट्ठा नशे, आपराधिक घटनाओं और विमल नेगी मौत मामले का उल्लेख कर उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर निशाना साधा।

चारों क्षेत्रों में जयराम ठाकुर ने प्रदेश के बढ़ते ऋण को सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में शामिल किया। अलग-अलग सभाओं में उन्होंने कर्ज का आंकड़ा 1.15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये तक

पहुंचने का दावा किया। भाजपा का सवाल है कि जब विकास कार्यों की गति पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है तो बढ़ते ऋण का लाभ जनता को किस रूप में मिल रहा है।

इन दौरों में भाजपा ने पंचायत चुनावों को अपनी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। उन्होंने जिला परिषद और पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव परिणामों को कांग्रेस के खिलाफ जनमत बताया। चौपाल में उन्होंने भाजपा समर्थित प्रधानों की जीत और शिमला जिला परिषद में पार्टी की सफलता का उल्लेख किया। भाजपा इन परिणामों को संगठनात्मक मजबूती और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ के संकेत के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

कुल मिलाकर शिमला जिले में इन दौरों से चुनावी माहौल जरूर तेज हुआ है साथ ही जयराम ने कांग्रेस के सामने सीधा सवाल खड़ा किया है कि गारंटियों, बागवानों के भुगतान, कर्ज और विकास पर सरकार के पास जवाब क्या है?

हिमाचल के छः मेडिकल कॉलेजों को 320 नई पीजी सीटें, केंद्र देगा 415 करोड़

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए छः सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों को मंजूरी दी गई है। इस पहल के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 415 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य सरकार से मंजूर सीटों और उनसे जुड़ी सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से शुरू करने को कहा है। इस निर्णय से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और मेडिकल शिक्षा की क्षमता मजबूत करने की उम्मीद है।

मंजूर सीटों में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शिमला के लिए 91, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के लिए

57, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक के लिए 55, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा के लिए 57, डॉ.वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन के लिए 32 और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा के लिए 28 सीटें शामिल हैं। इन सीटों की मंजूरी से अलग-अलग चिकित्सा विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ कॉलेजों में आवश्यक फैकल्टी, प्रशिक्षण सुविधाओं, उपकरणों और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार का प्रस्ताव 23 जून को प्राप्त हुआ था। इसके बाद छह अक्टूबर को बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह के दौरान नड्डा और मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के बीच इस विषय

पर चर्चा हुई थी। अब केंद्र की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के सामने इन सीटों को निर्धारित समय में शुरू करने और संबंधित संस्थानों में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने की जिम्मेदारी होगी।

नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र की अन्य केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति का मुद्दा भी उठाया। इनमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंभीर मरीजों के उपचार और रोगों की जांच संबंधी सुविधाओं को मजबूत करना है। इन योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए निर्माण, उपकरणों की उपलब्धता और संचालन से जुड़े कार्यों में तेजी जरूरी होगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति और उनके पूरा होने की

समय-सीमा का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।

बैठक में रेल परियोजनाओं का विषय भी सामने आया। चंडीगढ़-बढ़ी रेल संपर्क और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना के संदर्भ में राज्य की हिस्सेदारी तथा भूमि से जुड़े मुद्दों को समय पर सुलझाने पर जोर दिया गया। इन बाधाओं के समाधान के बिना परियोजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है।

पीजी सीटों की मंजूरी हिमाचल में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि राज्य सरकार स्वीकृत धनराशि और सीटों के अनुरूप जरूरी संसाधन कितनी तेजी से जुटाती है तथा स्वास्थ्य और रेल क्षेत्र की अन्य लंबित परियोजनाओं पर कितना ठोस काम होता है।